संख्या-2/2020/39 /बावन-1-2020-समर्पण व्यय 2018-19

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2020**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न मदों की समर्पित धनराशि को सम्बन्धित मदों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट/अनुपूरक बजट से पुन: आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र संख्या-2394/अ0स0क0नि/एम0एस0डी0पी0/बजट-आवंटन/आहरण/2017-18, दिनांक 04.10.2019 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यालय ज्ञाप संख्या-446/52-1-2019, दिनांक 31 मार्च, 2019 द्वारा समर्पित धनराशि में से निम्न सारणी के कॉलम-3 में अंकित परियोजनाओं के निर्माण हेतु सम्बन्धित मदों से सारणी के कॉलम-8 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट प्राविधान एवं कॉलम-9 में उल्लिखित अनुपूरक बजट प्राविधान की धनराशि तथा कॉलम-10 में कुल बजट प्राविधान उल्लिखित करते हुए **कॉलम-5 में उल्लिखित विभिन्न मदों की केन्द्रांश की धनराशि रू0 2175.81 (रूपये इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र)** तथा कॉलम-6 में उल्लिखित विभिन्न मदों की राज्यांश की धनराशि रू0 1306.02 लाख **(रूपये तेरह करोड़ छ: लाख दो हजार मात्र) अर्थात कालम-7 में उल्लिखित विभिन्न मदों की कुल धनराशि रू0 3481.83 लाख (रूपये चौतीस करोड़ इक्यासी लाख तिरासी हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट से अवमुक्त कर निदेशक के निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

http://gnasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था जिसको धनराशि हस्तगत की जानी है	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समर्पित धनराशि को 2019-20 में प्राविधानित बजट/अनुपूरक बजट से पुर्नआवंटन			प्राविधानित बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट 8+9	लेखा शीर्षक
				केन्द्रांश	राज्यांश	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजनौर	विकास खण्ड'किरतपुर के किरतपुर में राजकीय इण्टर कालेज	सी0एण्ड डी0एस0	115.26	76.84	192.10	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
2	मुरादाबाद	विकास खण्ड ठाकुरद्वारा में राजकीय हाई स्कूल अब्दुल्लापुरलेदा	सी0एण्ड डी0एस0	40.09	26.73	66.82	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
3	मुरादाबाद	विकास खण्ड दिलारी में रा0 इण्टर कालेज मुस्तफापुर	सी0एण्ड डी0एस0	87.18	58.12	145.30	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
4	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी में राकीय हाई स्कूल गख्खरपुर	सी0एण्ड डी0एस0	40.09	26.73	66.82	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
5	मुरादाबाद	विकास खण्ड-मुरादाबाद में राजकीय हाई स्कूल बांगर, इस्लामनगर तथा उमरी	सी0एण्ड डी0एस0	120.28	80.18	200.46	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
6	शामली	विकास खण्ड थाना भवन के हसनपुर लोहारी में राजकीय इण्टर कालेज	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	87.00	58.00	145.00	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
7	बिजनौर	विकास खण्ड नेहटौर के नेहटौर में रा0 इण्टर कालेज	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	115.26	76.84	192.10	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109

http://shasanadesh.up.gov.in

8	बिजनौर	विकास खण्ड मोहम्मदपुर देवमल के गजरौला अचपल में रा0 इण्टर कालेज	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	115.26	76.84	192.10	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
9	रामपुर	विकास खण्ड बिलासपुर के कमुआनंगला में रा0 इण्टर कालेज	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	114.56	76.37	190.93	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
10	रामपुर	विकास खण्ड बिलासपुर के बेगमाबाद में रा0 इण्टर कालेज	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	114.56	76.37	190.93	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
11	प्रतापगढ़	बेला प्रतापगढ़ टाउन के बेल्हाघाट में रा0 बालिका इण्टर कालेज का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम यू0पी0 सिडको	69.74	46.50	116.24	6000.00	4000.00	10000.00	4235-02-800-01-0109
		योग		1019.28	679.52	1698.80				
12	बिजनौर	विकास खण्ड-स्योहारा में राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस0	430.00	0.00	430.00	5000.00	0.00	5000.00	4235-02-800-01-0111
		योग		430.00	0.00	430.00				
13	बुलन्दशहर, महोबा, सिद्धार्थनगर हापुड, पीलीभीत, उन्नाव, जालौन, अमेठी, लखीमपुर-खीरी, सन्तकबीर नगर, एवं अम्बेडकर नगर	सदभाव मण्डप के निर्माण हेतु संशोधित माडल के अनुसार अतिरिक्त धनराशि	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	12.24	0.00	12.24	4000.00	0.00	4000.00	4235-02-800-01-0119
		योग		12.24	0.00	12.24				
14	आजमगढ़	वि0ख0 सठियांव के जमुरी में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	69.77	69.77	139.54	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117

http://shasanadesh.up.gov.in

15	आजमगढ़	वि0ख0- सठियांव के गजहड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	83.30	83.30	166.60	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
16	बस्ती	वि0ख0- रामनगर के कोहाड़ी में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	23.30	23.30	46.60	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
17	बस्ती	वि0ख0- रामनगर के तुशायल में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	26.52	26.51	53.03	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
18	बस्ती	विकास खण्ड- रामनगर के खमरिया पूरब में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	29.97	29.97	59.94	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
19	बस्ती	विकास खण्ड रामनगर के पकड़ी में पेयजलआपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	23.95	23.95	47.90	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
20	बस्ती	वि0ख0 रामनगर के भोलापुर में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	24.82	24.81	49.63	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
21	गाजियाबाद	विकास खण्ड राजापुर के रसूलपुर सिकरौड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	63.15	63.15	126.30	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
22	सम्भल	विकास खण्ड सम्भल के सलारपुर कला में पेयजल आपूर्ति योजना	उ0प्र0 जल निगम	65.11	65.11	130.22	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
23	सम्भल	विकास खण्ड असमौकली के शहबाजपुर कला में पेयजल आपूर्तियोजना	उ0प्र0 जल निगम	82.18	82.18	164.36	10000.00	5000.00	15000.00	4235-02-800-01-0117
		योग		504.31	492.05	996.36				

UniCode Surrender

http://shasanadesh.up.gov.in

24	अमेठी	विकास खण्ड शुकुल बाजार के सत्थिन में राजकीय आई.टी.आई. का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	222.22	134.45	356.67	4000.00	4000.00	8000.00	4235-02-800-01-0105
योग				222.22	134.45	356.67				
महायोग				**2175.81**	**1306.02**	**3481.83**				

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा** तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त **तालिका के कॉलम-4** में उल्लिखित **सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- **कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।** निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजनाओं के निर्माण का मानक वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है ।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है । प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य /मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एंव नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(7)- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा

(8)- अवमुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत कार्यो हेतु वास्तविक रूप से समर्पित धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(10)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(12)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(14)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय। शासनादेश दिनांक 29.07.2019 के अनुसार परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं हेतु उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये जितनी 31 मार्च 2020 तक परियोजनाओं पर व्यय हेतु सम्भावित हो।

(19)- प्रश्नगत परियोजना की प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा उक्त परियोजना की प्रथम किश्त की धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट एवं सत्यापन आख्या/गुणवत्ता आदि अपने स्तर से सुनिश्चित करने एवं तत्सम्बन्धी सूचना शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित/निर्गत की जायेगी।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणपर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें उक्त प्रस्तर 2 की तालिका के कॉलम-11 में उल्लिखित उपलेखाशीर्षक के नामें डाला जायेगा।

UniCode Surrender

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-16/दस-2020, दिनांक 07.01.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-39(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में यथाआवश्यक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- प्रबन्ध निदेशक, **सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UniCode Surrender

http://shasanadesh.up.gov.in